(61)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2009/ज्येष्ठ 12, 1931
No. 94] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2009/JYAISTHA 12, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2009

सं. एल-7/165(180)/2008-केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा सभी पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1-प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(क) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं तथा निर्वचन

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "करार" से करार, संविदा या समझौता ज्ञापन या विद्युत की अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबंधित किसी पहलू संबंधी कोई ऐसी प्रसंविदा अभिप्रेत है जो अनुज्ञप्तिधारी, दीर्घकालिक ग्राहकों और केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या समझे गए अनुज्ञप्तिधारी के बीच की गई हो;

(ग) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करने या अनुज्ञप्ति का संशोधन करने के लिए आवेदन किया हो;

(घ) 'आवेदन' से यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने या अनुज्ञप्ति में संशोधन करने के लिए किया गया आवेदन अभिप्रेत है जिसमें ऐसे आवेदन के उपाबंध, संलग्नक सम्मिलित है ;

(ङ.) 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' से प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विद्युत के अंतर राज्यिक पारेषण हेतु सेवाओं की उपाप्ति के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रक्रिया का समन्वय करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अभिकरण अभिप्रेत है ;

(च) 'केंद्रीय पारेषण उपयोगिता' से अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय पारेषण उपयोगिता अभिप्रेत है ;

(छ) 'आयोग' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ज) 'समझा गया अनुज्ञप्तिधारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के किसी परंतुकों के अधीन भी विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्तिधारी समझा जाता है;

(झ) 'सशक्त समिति' से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में निर्दिष्ट सशक्त समिति अभिप्रेत है ;

(ञ) 'वित्तीय वर्ष' से वर्ष के पहली अप्रैल से आरंभ होने वाला तथा आगामी वर्ष के 31वें मार्च को समाप्त होने वाले बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;

(ट) 'ग्रिड संहिता' से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता अभिप्रेत है ;

(ठ) 'प्रतिस्पर्धा बोली के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत' से पारेषण परियोजनाओं के विकास के लिए अधिनियम की धारा 63 के निबंधनों के अनुसार, समय-समय पर, केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है ;

(ड) "प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत" से पारेषण सेवाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत अभिप्रेत है ;

(ढ) "अनुज्ञप्ति" से विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण को आरंभ करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 14 के अधीन आयोग द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(ण) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विद्युत के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, और इसमें समझा गया अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित है;

(त) "दीर्घ-कालिक ग्राहक" से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008, जिसमें उसके कानूनी संशोधन तथा उसकी पुनः अधिनियमिति सम्मिलित हैं, में यथा-परिभाषित दीर्घ-कालिक ग्राहक अभिप्रेत है;

(थ) "परियोजना" से पारेषण योजना में सम्मिलित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के तंत्व या तत्व अभिप्रेत हैं;

(द) "मानक" से अधिनियम की धारा 73 के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीक मानक, सुरक्षा अपेक्षाएं तथा ग्रिड मानक अभिप्रेत हैं;

(ध) "राज्य स्वामित्वाधीन या राज्य नियंत्रणाधीन कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें समादत्त शेयरपूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम धारित न था जिससे बोर्ड की नियुक्ति केंद्रीय सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या किसी सरकारी कंपनी या कंपनियों या केंद्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार या सरकारों तथा किसी सरकारी कंपनी या कंपनियों द्वारा की जाती है, निदेशकों का बहुमत होता है;

(न) "पारेषण प्रभार" से परियोजना के लिए आयोग द्वारा, यथास्थिति, अनुमोदित या अंगीकार किए गए पारेषण प्रभार अभिप्रेत हैं; और

(प) 'पारेषण योजना ' से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई अल्पकालिक या भावी योजना या राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार केंद्रीय उपयोगिता द्वारा तैयार की गई नेटवर्क योजना अभिप्रेत है;

(2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय तथा जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों के पदों, जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम, या ग्रिड कोड में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम या ग्रिड कोड में है ।

(3) समय-समय पर यथासंशोधित साधारण खंड अधिनियम, 1987 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन को ऐसे लागू होंगे मानो वे संसद् के अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू हों ।

अध्याय 2 - परियोजना का चयन तथा कार्यान्वयन अभिकरण

3. **परियोजनाओं का चयन**

सशक्त समिति परियोजनाओं की पहचान करेगी जिसमें प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विकसित की जाने वाली पारेषण योजना सम्मिलित है ।

4. **परियोजना विकासकर्ता**

(1) यदि प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विकास सशक्त समिति द्वारा पहचानी गई परियोजनाओं की दशा में पहचानी गई परियोजना विकासकर्ता का चयन इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

(2) ऐसी परियोजनाएं, जिसमें पारेषण योजना तथा प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विकसित किए जाने के लिए सशक्त समिति द्वारा न पहचानी गई परियोजनाएं सम्मिलित हैं । केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या समझा गया अनुज्ञप्तिधारी, या 5.1.2011 से या उससे पूर्व परियोजना विकासकर्ता के रूप में पहचानी गई राज्य स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कंपनी द्वारा विकसित की जाएगी ।

अध्याय 3 - अनुज्ञप्ति प्रदान करना

5. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां

इन विनियमों के अधीन आयोग के समक्ष सभी कार्यवाहियां केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999, जिसमें उसके संशोधन तथा कानूनी अधिनियमितियां सम्मिलित हैं, द्वारा शासित होंगी ।

6. अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए पात्रता

कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि -

(क) उनका प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन प्रक्रिया के माध्यम से चयन न किया गया हो; या

(ख) वह 5.1.2011 को या उससे पूर्व परियोजना विकासकर्ता के रूप में पहचानी गई राज्य स्वामित्वाधीन कंपनी या राज्य नियंत्रणाधीन कंपनी न हो;

(ग) उसने ऐसी उत्पादन कंपनी जिसने समर्पित पारेषण लाइन तथा मुख्य पारेषण लाइन तथा अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के भाग रूप ऐसी समर्पित पारेषण लाइन के उपयोग के लिए आशयित समर्पित पारेषण लाइन सुस्थापित न की हो ।

7. अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया

(1) अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन आयोग को इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप-I में किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए ।

(2) प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चयन किए गए व्यक्ति की दशा में, आवेदन में ऐसी अतिरिक्त जानकारी भी अंतर्विष्ट होगी, जो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अपेक्षित हो ।

(3) आवेदन उसमें उल्लिखित तथ्यों से अवगत होने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा ।

(4) आवेदन करने से पूर्व, आवेदक परियोजना के प्रत्येक दीर्घ-कालिक ग्राहकों को आवेदन की प्रति की तामील करेगा तथा आवेदन के साथ आवेदन के साथ उस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा । वेबसाइट पर उन विशिष्टियों को, जो आवेदन में दी जाएगीं, उपाबंधों तथा संलग्नकों के साथ पूर्ण आवेदन को डालेगा

(5) आवेदन को उस समय तक वेबसाइट पर रखा जाएगा जब तक कि आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है या आवेदन रद्द नहीं किया जाता है ।

(6) आवेदन फाइल करने के ठीक बाद, आवेदक आवेदन की एक प्रति केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को भेजेगा ।

(7) आवेदक, आवेदन करने 7 दिन के पश्चात्, इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप-2 में कम से कम दो समाचार-पत्रों में अपने आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा जो कि एक अंग्रेजी भाषा में दूसरा उस देशी भाषा में होगा, जिसका परिचालन उस प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में हो जहां परियोजना या दीर्घकालिक ग्राहक अवस्थित हो, तथा वह दैनिक समाचार-पत्र के रूप में उसी भाषा में हो जिसमें आवेदन की सूचना प्रकाशित की जाती है ।

(8) आवेदन की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर, यथासंभव, आयोग का सचिवालय, आवेदन की प्रारंभिक संवीक्षा करने पर जानकारी में आई त्रुटियों, यदि कोई हो, को सुधारने के लिए सूचित करेगा तथा त्रुटियों को भेजे जाने वाले पत्र में उपदर्शित समय के भीतर सुधारा जाएगा ।

(9) खंड (7) के अधीन समाचार-पत्रों में प्रकाशित सूचना में, यह उपदर्शित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, जिसमें दीर्घ-कालिक ग्राहक भी सम्मिलित है, सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आवेदन संबंधी सुझाव तथा आपत्तियां, आवेदक को प्रति के साथ सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (या वह पता जहां आयोग का कार्यालय अवस्थित है) तीसरी मंजिल, चंद्रलोक भवन, नई दिल्ली-110001 के समक्ष फाइल की जा सकेंगी ।

(10) आवेदक यथापूर्वोक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रकाशित सूचना के ब्यौरों को, उन समाचारपत्रों जिसमें सूचना प्रकाशित की गई है तथा तारीखें और उनमें प्रकाशन के स्थान को उपदर्शित करते हुए, शपथ पत्र पर आयोग को प्रस्तुत करेगा तथा उन समाचारपत्रों की मूल सुसंगत प्रतियां, जिसमें सूचना प्रकाशित की गई हैं, भी आयोग के समक्ष फाइल करेगा ।

(11) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर आवेदन में किए गए प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें, यदि कोई हो, आयोग को भेजेगा:

परंतु यह कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा की गई सिफारिशों, यदि कोई हो, की प्रति हमेशा आवेदक को भेजी जाएगी:

परंतु यह और कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता की सिफारिशें आयोग पर आबद्धकर नहीं होंगी ।

(12) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा की गई सिफारिशों तथा अपने द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हो, पर अपनी टीका-टिप्पणियों को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को आवेदन की प्रति की तामील या समाचारपत्रों में सूचना के प्रकाशन के 45 दिन के भीतर सम्यक् रूप से समर्थित शपथपत्र पर फाइल करेगा । उसकी एक अग्रिम प्रति, यथास्थिति, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या उस व्यक्ति को भी देगा जिसने आवेदन में किए गए प्रस्तावों पर सुझाव तथा आपत्तियां फाइल की हैं ।

(13) आयोग आवेदक द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों तथा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात अनुज्ञप्ति प्रदान का प्रस्ताव कर सकेगा या लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा ।

(14) अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व, आयोग अपने प्रस्तावों पर और सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ऐसे दो दैनिक समाचारपत्रों, जैसा आयोग समुचित समझे, में अपने प्रस्तावों की सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें उस व्यक्ति का नाम तथा पता होगा जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है, उस परियोजना के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है, परियोजना की आस्तियों की अवस्थिति तथा मार्ग उपदर्शित होगा, यह किसी ऐसे अन्य ब्यौरों के अतिरिक्त होगा जो आयोग समुचित समझें ।

(15) आयोग यथा पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त और सुझावों तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् इन विनियमों से संलग्न प्ररूप 3 में यथा साध्य अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा या लिखित में निम्नलिखित किए जाने के कारणों के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा यदि ऐसा आवेदन अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार या किसी अन्य वैध कारण के लिए रद्द कर सकेगा ।

(16) आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने या आवेदन रद्द करने से पूर्व, आवेदक, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, दीर्घ-कालिक ग्राहकों या उस व्यक्ति, जिसने सुझाव तथा आपत्तियां फाइल की है या किसी अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगाः

परंतु यह और कि आवेदक को आवेदक रद्द करने से पूर्व हमेशा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(17) आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आदेश के 15 दिन के भीतर अनुज्ञप्ति की प्रति केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता, आवेदक तथा दीर्घ-कालिक ग्राहकों को भेजेगा ।

अध्याय 4 - पारेषण प्रभार

8. पारेषण प्रभारों का अवधारण

(1) यदि अनुज्ञप्तिधारी का चयन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया गया है तो पारेषण प्रभारों को अधिनियम की धारा 63 के अनुसार आयोग द्वारा अंगीकार किया जाएगा ।

(2) किसी अन्य मामलों में, पारेषण प्रभारों, प्रोत्साहन, या गैर-प्रोत्साहन और अन्य प्रभारों का अवधारण अधिनियम की धारा 61 के अधीन तथा समय-समय पर प्रवृत्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

9. पारेषण प्रभारों पर विधि के परिवर्तन का प्रभाव

यदि परियोजना के विकास के लिए अनुज्ञप्तिधारी का चयन प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है तो पारेषण प्रभारों पर विधि में परिवर्तन का प्रभाव करारों में किए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए होगा ।

अध्याय 5 : अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तें

10. अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यताएं

(1) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की वैधता के दौरान प्रज्ञापूर्ण यूटिलिटी प्रेक्टिस के अनुसार बीमा बनाए रखेगा या जो निम्नलिखित के अधीन आवश्यक हो सकेगा, -

(i) किसी भी करार; तथा
(ii) भारत में प्रवृत्त विधिः

परंतु अनुज्ञप्तिधारी स्व-बीमा का विकल्प अपना सकेगा ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी परियोजना को समयबद्ध, दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी रीति से संनिर्मित, करेगा ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी प्रज्ञावान उपयोगिता व्यवहारों तथा करारों के अनुसार परियोजना को स्थापित प्रचालित तथा उसका रखरखाव करेगा

(4) अनुज्ञप्तिधारी परियोजना की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए अधिनियम की धारा 26 के अधीन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या धारा 28 की उपधारा (3) उसकी धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो समय-समय पर परियोजना की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए जारी किए जाए:

परंतु यह कि किसी अन्य कार्रवाई, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध की जा सकेगी, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक भार प्रेषण द्वारा किए गए आवेदन पर तथा अनुज्ञप्तिधारी को सुनने के पश्चात, अपना यह समाधान हो जाने पर कि पारेषण प्रणाली की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए अनुज्ञप्तिधारी असफल हो गया है, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को ऐसी अवधि तथा ऐसे निबंधनों पर, जो आयोग विनिश्चय करे, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली के प्रचालन का नियंत्रण करने के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा ।

(5) अनुज्ञप्तिधारी प्रवृत्त विधियों, विशिष्टतया अधिनियम, अधिनियम के अनुसरण में विरचित नियमों तथा विनियमों; ग्रिड संहिता, मानकों, आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा निदेशों की सभी अपेक्षाओं का कड़ाई से पालन करेगा;

(6) अनुज्ञप्तिधारी, समय-समय पर, यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी, जिसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी और विद्युत व्यापारी भी है, या उत्पादन कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए अपनी पारेषण प्रणाली हेतु अविभेदकारी निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा ।

(7) अनुज्ञप्तिधारी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 या ऐसे अन्य विनियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त हों ।

(8) जब कभी आयोग का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो, अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999, जिसमें उसकी कानूनी पुर्न-अधिनियमितियां भी हैं, के अनुसार आयोग के समक्ष समुचित आवेदन फाइल करेगा ।

(9) अनुज्ञप्तिधारी सभी अन्य विनियमों जिसमें विद्युत के पारेषण से भिन्न कारबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग के बारे में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियम सम्मिलित है, का अनुपालन करेगा ।

11. **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप**

अनुज्ञप्तिधारी कोई संविदा नहीं करेगा या विद्युत के व्यापार के व्यवसाय में अन्यथा न लगेगा ।

12. **अनुज्ञप्ति का समनुदेशन**

ऋण प्रतिसंदाय में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, आयोग उधारदाता द्वारा किए गए आवेदनों पर उधारदाताओं को नामनिर्देशिती को अनुज्ञप्ति समनुदेशित कर सकेगा ।

13. **अनुज्ञप्ति के निबंधन**

अनुज्ञप्ति जब तक अन्यथा पहले प्रतिसंहृत न की जाए, जारी होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी:

परंतु यह कि अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, आयोग ऐसी और अवधि या अवधियों या ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर नई अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस आशय के लिए किए गए आवेदन के पश्चात् आवश्यक समझेः

परंतु यह और कि नई अनुज्ञप्ति प्रदान करने की दशा में, इन विनियमों में अंतर्विष्ट अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया यथावत् लागू होगी ।

14. **अनुज्ञप्ति फीस के विलंब संदाय या असंदाय के परिणाम**

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 के या प्रवृत्त किसी अन्य विनियम अधीन विलंब संदाय अधिभार का संदाय करने की अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यता में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्ति फीस या उसके किसी भाग के संदाय में 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए विलंब या असंदाय को अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के भंग के रूप में माना जाएगा ।

15. **अनुज्ञप्तिधारी के लेखे**

अनुज्ञप्तिधारी,

(क) प्रत्येक कारबार, जिसमें परियोजना की आस्तियों का उपयोग आरंभ करने वाले कारबार भी सम्मिलित है, ऐसे प्ररूप में पृथक रूप से बनाए रखेगा तथा उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं तथा जब तक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट न की जाएं, लेखाओं को समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार बनाए रखा जाएगा ।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए समरूप आधार पर ऐसे अभिलेख लेखांकन, लेखांकन विवरणों को तैयार करेगा जिसमें लाभ तथा हानि लेखा, तुलनपत्र विवरण तथा स्रोत का विवरण तथा टिप्पणों सहित निधियों का उपयोजन

सम्मिलित होगा तथा उसमें ऐसे किसी राजस्व लागत, आस्ति, दायित्व आरक्षिति या प्रावधान की रकम पृथक रूप से दर्शित होगी जो, ---

(i) किसी अन्य कारबार से उस प्रभार के आधार के विवरण के साथ प्रभारित की गई हों; या

(ii) प्रभाजन या आबंटन के आधार पर वर्णन के साथ-साथ विभिन्न कारबार क्रियाकलापों के बीच प्रभाजन या आबंटन द्वारा अवधारित की गई हों ।

ग) पूर्वगामी खंडों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, लेखा परीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित तैयार किए गए ऐसे लेखा विवरण देगा जिसमें उनकी राय में विवरण पर्याप्त रूप से तैयार किए गए हों और जो उस कारबार, जिससे वे संबंधित हैं, से युक्तियुक्त रूप से माने जा सकने वाली राजस्व, लागत, आस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों की सही तथा उचित छवि प्रदान करते हों ।

16. लेखाओं का निरीक्षण

आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी युक्तियुक्त समय पर अनुज्ञप्तिधारी के लेखाओं का निरीक्षण तथा उन्हें सत्यापित करने का हकदार होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को लेखाओं का निरीक्षण करने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

17. जानकारी का दिया जाना

अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के अधीन व्यस्त अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ऐसी जानकारी देगा, जो समय-समय पर आयोग और प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा मांगी जाए:

परंतु यह कि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या प्रादेशिक ऊर्जा समिति समय-समय पर ऐसी उद्घटनाओं की रिपोर्ट आयोग को देगा जो अनुज्ञप्तिधारी के कार्य-निष्पादन के बारे में समुचित समझी जाएं ।

18. विवेकाधीन रिपोर्ट करना

अनुज्ञप्तिधारी यथा साध्य शीध्र आयोग को निम्नलिखित रिपोर्ट देगा -

(क). अनुज्ञप्तिधारी के प्रमुख शेयरधारण, स्वामित्व या प्रबंधन में किसी परिवर्तन; तथा

(ख) करार के निर्वचन, संशोधन या समापन के लिए करार पर हस्ताक्षर करने वाले एक या उससे अधिक पक्षकारों द्वारा आरंभिक कोई भी कार्रवाई ।

19. अनुज्ञप्ति का संशोधन

(1) आयोग अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तों में स्वःप्रेरणा से या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे परिवर्तन तथा संशोधन कर सकेगा यदि आयोग की राय में लोक हित में ऐसा अपेक्षित होः

परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर अन्यथा किए जाने के लिए प्रस्तावित अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों में कोई भी परिवर्तन और संशोधन करने का आदेश करने से पूर्व, आयोग दो ऐसे दैनिक समाचारपत्रों में, जो वह उचित समझे, निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ एक सूचना प्रकाशित करेगा; अर्थात् :-

(क) अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता;

(ख) किए जाने के प्रस्तावित परिवर्तन तथा उपांतरण;

(ग) ऐसे परिवर्तन तथा उपांतरण के लिए आधार; और

(घ) नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आयोग के विचार के लिए प्रस्ताव पर सुझाव, यदि कोई हो, आमंत्रित करेगा ।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में किसी भी सारवान् परिवर्तन या उपांतरण के लिए आवेदन करता है तो विनियम 7 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ।

(3) जहां अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी अनुज्ञप्ति में कोई परिवर्तन या उपांतरण करने का प्रस्ताव करने के लिए आवेदन किया है वहां वह निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ ऐसे आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा, अर्थात् --

(क) आवेदक का नाम ;

(ख) यह कि परिवर्तन तथा उपांतरण के लिए आवेदन आयोग के समक्ष फाइल कर दिया गया है;

(ग) आवेदन में प्रस्तावित परिवर्तन तथा उपांतरण के ब्योरे ;

(घ) ऐसे परिवर्तन और उपांतरण करने के कारण;

(ङ.) एक ऐसा कथन कि आयोग के समक्ष किए गए आवेदन को वेबसाइट पर डाल दिया गया है तथा उसका आवेदक के कार्यालय में निरीक्षण भी किया जा सकता है;

(च) एक ऐसा कथन कि आवेदन में किए गए परिवर्तन तथा उपांतरण करने संबंधी प्रस्ताव के लिए कोई भी सुझाव सूचना के प्रकाशन के एक मास के भीतर आयोग के सचिव को भेजे जा सकेंगे ।

टिप्पणः इस विनियम तथा विनियम 20 के प्रयोजन के लिए, "अनुज्ञप्तिधारी" पद में समझा गया अनुज्ञप्तिधारी सम्मिलित नहीं है ।

20. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

(1) आयोग निम्नलिखित किंही भी परिस्थितियों में, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) जहां आयोग की राय में, अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित कोई बात करने में जानबूझकर और विलंबित व्यतिक्रम करता है;

(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में से किसी को भंग करता है;

(ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त नियत अवधि के भीतर या किसी ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात कर सकेगा, आयोग के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित करने में असफल रहता है कि वह अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतः और दक्षतापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति में है ;

(घ) जहां आयोग की राय में, अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा उसे अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं का पूर्णतः तथा दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में असमर्थ है ;

(ङ.) जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत में पारेषण करने में असफल हुआ है या उसकी उपेक्षा की है:

(च) जहां अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी देने में असफल रहता है:

(छ) जहां अनुज्ञप्तिधारी संनिर्माण या प्रचालन प्रक्रम के दौरान पारेषण सेवा करार के किंही भी निबंधनों तथा शर्तों को भंग करता है:

परंतु यह कि अनुज्ञप्ति को तब तक प्रतिसंहृत नही किया जाएगा जब तक नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आयोग द्वारा जांच नहीं की जाती ह तथा जब तक अनुज्ञप्तिघारी के अनुज्ञप्ति के प्रतिसहरण के लिए लिखित में बताए जाने वाले आधारों में 3 मास से अन्यून की सूचना नहीं दे दी गई है तथा उस अवधि, जिसके प्रति प्रतिसंहरण का प्रस्ताव किया गया है, के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दर्शित कारणों पर विचार नहीं किया जाता है;

परंतु यह भी कि आयोग, किसी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने बजाय, ऐसे अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुज्ञप्ति को प्रवर्तन में बने रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और इस प्रकार अधिरोपित कोई भी अतिरिक्त निबंधन और शर्तें अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होगी तथा उसके द्वारा उनका पालन किया जाएगा और ऐसे निबंधनों और शर्तों का वैसा ही बल और प्रभाव होगा मानो वह अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट हों ।

(2) जब अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करता है और आयोग का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है जो आयोग उसकी अनुज्ञप्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(3) आयोग अनुज्ञप्तिधारी पर प्रतिसंहरण की सूचना की तामील करेगा तथा वह तारीख नियत करेगा जिस तारीख को प्रतिसंहरण प्रभावी होगा तथा अनुज्ञप्ति के अधीन बाध्यताएं कैसे तथा किसके द्वारा ऐसे प्रतिसंहरण के पश्चात् निर्मोचित की जानी हैं ।

(4) यदि आयोग का किसी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाता है कि परियोजना का अनुज्ञप्तिघारी द्वारा परित्याग कर दिया गया है जिसके द्वारा उसके संनिर्माण, प्रचालन या रखरखाव पर प्रभाव पड़ेगा तो आयोग केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे आयोग उपयुक्त समझें, को अधिनियम की धारा 20 तथा धारा 21 के अनुसार अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए कार्यवाही के लंबित होते हुए तथा विक्रय तथा अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिताओं के निहित करने के

लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में परियोजना के संनिर्माण, प्रचालन या रखरखाव का कार्य तत्काल सौंपेगा ।

अध्याय 6 - प्रकीर्ण

21. अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया

(1) जहां आयोग का अपने पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का उल्लंधन कर रहा है या उसके उल्लंधन किए जाने की संभावना है तो वह उसकी आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने के लिए उसके द्वारा अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का उल्लंधन करने या उल्लंधन करने की संभावना के लिए अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस की तामील करेगा ।

(2) नोटिस की तामील उसको उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या उसके निवास या कारबार के सामान्य या अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या वाहक के माध्यम से परिदान करके की जाएगी या समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा तब की जाएगी यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या हाथ से या किसी अन्य रीति से, जैसा मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में आयोग उचित समझे, सूचना की तामील करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है ।

(3) आयोग यदि यह मानता है कि ऐसे उल्लंधन द्वारा प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित होने वाले व्यक्ति की जानकारी में मामले को लाना आवश्यक है तो वह एक या उससे अधिक समाचारपत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति से सुझाव आमंत्रित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंधन किए गए या उल्लंधन किए जाने की संभावना के लिए निबंधन तथा शर्तों को विनिर्दिष्ट होंगे ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित होने वाला अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति, यथास्थिति, खंड (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख से या खंड (3) के अधीन समाचारपत्रों में सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर अपनी आपत्तियां या सुझाव, फाइल कर सकेंगे ।

(5) आयोग यथापूर्वोक्त प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार करने पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निदेश दे सकेगा जो अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

22. विवाद समाधान

(1) अनुज्ञप्ति या उसके निबंधन तथा शर्तों के निर्वचन से उद्भूत या संशक्त सभी विवाद या मतभेद करारों के अनुसार यथासंभव पारस्परिक परामर्श और सुलह द्वारा निपटाए जाएंगे ।

(2) खंड (1) में उल्लिखित रीति से विवाद या मतभेद का समाधान करने के लिए पक्षकारों के असफल रहने की दशा में, उन्हें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी असफलता को अभिलिखित करने के एक मास के भीतर न्यायनिर्णयन या माध्यस्थम् के लिए आयोग को निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

23. पत्र-व्यवहार

(1) इन विनियमों के अधीन सभी पत्र-व्यवहार लिखित में होंगे और संबोधितीं को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को परिदत्त किए जाएंगे या संबोधिती के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या निवास के प्रायिक या अंतिम ज्ञात स्थान पर या कारबार के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा भेजे जाएंगे ।

(2) सभी संसूचनाएं भेजने वाले द्वारा तब दी गई और संबोधिती द्वारा तब प्राप्त की गई समझी जाएंगी जब -

(i) संबोधित को व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजी जाती हैं ; और

(ii) संबोधिती के पते और रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक द्वारा संसूचनाएं भेजने की तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति पर भेजी जाती हैं ।

24. शिथिल करने की शक्ति

आयोग जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे और लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा या हटा सकेगा।

25. निरसन तथा व्यावृत्ति

(1) जब तक इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2003 निरसित किए जाते हैं ।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं विशेष परियोजनाओं के रूप में समझी जाएंगी तथा ये विनियम ऐसी परियोजनाओं को इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से लागू होंगे ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/09]

प्ररूप - 1

पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप

1. आवेदक की विशिष्टियां

i) आवेदक का नाम

ii) प्रास्थिति : व्यष्टिक/भागीदारी फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी

iii) पता :

iv) संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा पता :

v) संपर्क टेली. सं. :

vi) फैक्स नं. :

vii) ई-मेल आई डी :

viii) समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का स्थान :

ix) समामेलन/रजिस्ट्रीकरण का वर्ष :

x) निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं :

(क) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

(ख) आवेदक या उसके संप्रवर्तकों की सुपुर्दगी के लिए हस्ताक्षरी का मूल मुख्तारनामा

2. उस परियोजना का विशिष्टियां जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा रही है:

(क) पारेषण लाइनें

क्रम सं.	नाम (अंतिम-अवस्थान स्थान)	वोल्टेज प्रवर्ग (के वी)	लंबाई (कि.मी.)	प्रकार (एस/सी या डी/सी)

(ख) उपकेंद्र

क्रम सं.	नाम (अवस्थान)	वोल्टेज स्तर (के वी)	ट्रांसफार्मर (सं. तथा एम वी ए क्षमता)	रिएक्टिव/कैपसिटिव कंपनसेशन (एमवीए आर क्षमता के साथ युक्ति)	बेजों की संख्या

(ग) कमीशनिंग अनुसूची

(घ) परियोजना के पहचाने गए दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक (आवेदन के साथ करार या संबंधी विचार-विमर्श प्रास्थिति प्रस्तत की जानी है) ।

(ङ.) कोई अन्य सुसंगत जानकारी

3. स्तरीय पारेषण प्रभार, यदि परियोजना का चयन प्रतिस्पर्धा बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है तथा अन्य मामलों में परियोजना की प्राक्कलित समापन लागत ।
(प्राक्कलित लागत की दशा में स्तरीय पारेषण प्रभार प्राक्कलित लागत को आधार मास और वर्ष के साथ भारतीय रूपए में उपदर्शित किया जाना चाहिए)

4. यदि आवेदक का चयन प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है तो निम्नलिखित संलग्न करें :-

(क) सशक्त समिति द्वारा चयन की सिफारिश
(ख) बोली प्रक्रिया समन्वयक द्वारा सार्वजनिक की गई मूल्यांकन रिपोर्ट

5. संलग्न दस्तावेजों की सूची:
दस्तावेज का नाम

क)
ख)
ग)
घ)

तारीखः
स्थानः

(आवेदक या प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर)

प्ररूप - 2
(सार्वजनिक सूचना का प्ररूप)

आवेदक का मोनोग्राम, यदि कोई हो
आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)
आवेदक का पता (बड़े अक्षरों में)

सूचना (बड़े अक्षरों में)

[विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन] (बड़े अक्षरों में)

(कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जानी है जिसमें से एक अंग्रेजी में और दूसरी देशी भाषा में हो जिसका परिचालन उस प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में हो जहां परियोजना की कोई भी आस्तियां हो या उसी भाषा के दैनिक समाचारपत्र में जहाँ दीर्घ-कालिक ग्राहक अवस्थित हो)

1. .... (यहां पर बड़े अक्षरों में आवेदक का नाम दें), **जिसका** रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .... में हैं (बड़े अक्षरों में पता दें), जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित किया गया है, ने पारेषण लाइन, उपकेंद्रों और अन्य आस्तियों के संबंध में पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : -

क्रम सं.	लाइन/उपकेंद्र का नाम (अवस्थान)	लाइन की लंबाई1/ क्षमता2	पूरा करने की प्राक्कलित लागत3 या स्तरीय पारेषण प्रभार4 (यदि आवेदक का चयन प्रतिस्पर्धा बोली के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है)	लगाए जाने की अनुसूची	टिप्पणियां5

स्पष्टीकरण टिप्पण

ये उपरोक्त जानकारी देने के लिए स्पष्टीकारक टिप्पण हैं और इन्हें सार्वजनिक सूचना में सम्मिलित नहीं किया जाना है -

1. पारेषण लाइन की दशा में ।
2. उप केंद्र की दशा में ।
3. प्राक्कलित लागत के आधार मास और वर्ष सहित भारतीय रुपए में प्राक्कलित लागत ।
4. कोट किए गए टैरिफ के आधार पर स्तरीकृत पारेषण प्रभार तथा बोली प्रक्रिया समन्वयक द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त छूट कारक और वृद्धि कारक ।
5. टिप्पणी स्तंभ में, कोई ऐसे अन्य ब्यौरों के अलावा जो आवश्यक समझे जाएं, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए कि किसी छावनी, हवाई अड्डे, जंगल, शस्त्रागार, डाकयार्ड या कैंप या किसी भवन में या रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार के अधिभोग में या इन स्थापनों के लिए 2 किलोमीटर की दूरी पर कोई स्थान या आरक्षित वनों में पूर्णतः या भागतः कोई आस्ति आस-पास है या अवस्थित है ।

2. आयोग के समक्ष फाइल किया गया पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा देखने के लिए वेबसाइट .... (वेबसाइट का पता दें) पर उपलब्ध हैं । आवेदन का निरीक्षण .... (निरीक्षण अनुज्ञात करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम दें) सहित कंपनी .... (कंपनी का पता या संदर्भ दें यदि मोनोग्राम में दिया गया है) पर भी या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, आयोग के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, समाचार-पत्र में सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, (यहां आयोग के कार्यालय का पता दें) के समक्ष फाइल किए जा सकेंगे और आपत्तियों या सुझावों की एक प्रति आवेदक या उसके प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदान की जाएंगी ।

तारीखः
स्थानः

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
का नाम और पदनाम)

प्ररूप - 3

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
नई दिल्ली
पारेषण अनुज्ञप्ति

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आयोग' कहा गया है), विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित .... (परियोजना का नाम) के संनिर्माण, स्वामित्वाधीन, रखरखाव तथा प्रचालन के लिए, जो इस अनुज्ञप्ति के भाग रूप पढ़े जाएंगे, ... (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) को अधिनियम, नियमों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के अधीन विनिर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तों, जो इस अनुज्ञप्ति के भाग रूप पढ़े जाएंगे, के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति प्रदान करता है ।

2. समापन अनुसूची, अंतरण मूल्य, परिनिर्धारित नुकसानी, परियोजना कार्यान्वयन गारंटीकृत निक्षेप, स्वदेशी मुद्रास्फीति के कारण उतार-चढ़ाव, जो बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है तथा करार के उपबंध है, जैसी शर्तों को, जो सीमित नहीं हैं, इस अनुज्ञप्ति का भाग रूप समझे जाएंगे जब तक कि ये उपबंध केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 के प्रतिकूल न हों;

3. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें), विनियम, 2009 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है ।

4. अनुज्ञप्तिधारी को यह अनुज्ञप्ति प्रदान करने से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में वर्णित परियोजना से भिन्न पारेषण प्रणाली के लिए उसी क्षेत्र में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के अधिकार को किसी भी रूप या रीति से निर्बंधित नहीं करेगी । अनुज्ञप्तिधारी अनन्य रूप से कोई भी दावा नहीं करेगा ।

5. अनुज्ञप्ति, जब तक कि पहले प्रतिसंहृत नहीं कर ली जाए, इसके जारी होने की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः

(सचिव)

अनुसूची

1.0 परियोजना संबंधित ब्यौरेः

परियोजना अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनेगीः

क्रम सं.	पारेषण तत्व का नाम	कमीशनिंग की अनुसूचित तारीख

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः